न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 95 / 2019

1. बृजमोहन आ0 मोडूलाल जाति गुजर निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादी

बनाम

1. मोडूलाल आ0 मोतीलाल जाति गुजर निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. किशन गोपाल आ0 मोडूलाल जाति गुजर निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
3. जुगराज आ0 मोडूलाल जाति गुजर निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
4. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1— वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
2— प्रतिवादी की और सें श्री निलेश सामरिया एडवोकेट

—::निर्णय::— दिनांकः 16.12.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 12.06.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 94 पुराना 97 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 2715 रकबा 1.72 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.62 है0 वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) पटवार हल्का जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है। मूल पुरूष मोडूलाल है। मोडूलाल के पुत्र वादी बृजमोहन व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

संख्या 2 किशन गोपाल व प्रतिवादी संख्या 3 जुगराज है। वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो सें पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है जिसमें वादी 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी पृथक सें निवास कर रहा है स्वयं तथा अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिये अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को विधिवत रूप से 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे।

3. वादी को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व 3 की और से दि0 13.12.19 को राजीनामा पेश किया गया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि0 13.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 94 पुराना 97 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 2715 रकबा 1.72 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.62 है0 वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) पटवार हल्का जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

<u>डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई</u>

<u>(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)</u>

<u>**(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)**</u>

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

बृजमोहन **v/s** **मोडूलाल वगै0**

<u>वादः– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि</u>

<u>मुकदमा नम्बर :: 95/2019</u>

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की और से श्री निलेश सामरिया की उपस्थिति में आज दिनांक 16.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 94 पुराना 97 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 2715 रकबा 1.72 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.62 है0 वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) पटवार हल्का जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत ....ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.12.2019 को जारी की गई।

(मोहर)

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner